

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।

आदेश सं०/बेसिक/ 124 / स्थाना०-रा०प्रा०वि०अनिवार्य/2019-20 दिनांक 25.06.2019

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

शासनादेश सं०30/XXX-2/2018-30/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी 2018 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में किये गये प्राविधान द्वारा प्राप्त निर्देश एवं अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक/एजुकेशन पोर्टल/5084-5101/2019-20 दिनांक 10 जून 2019 द्वारा प्रेषित कार्यवृत्त में दिए गये निर्देशों के क्रम में स्थानान्तरण अधिनियम -2017 की धारा 17 में गठित समिति द्वारा अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के नियम (एक) (दो) (तीन) (चार) (पांच) (छः) (सात) में किये गये प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय का अनिवार्य स्थानान्तरण उनके द्वारा दिए गये विकल्पों के क्रम में रिक्त पद के प्रति कालम 05 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। सम्बन्धित शिक्षक को आदेशित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 22 में किये गये प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र)

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06
1	श्रीमती हेमलता राठौर	स०अ०	रा०प्रा०वि० बेरीनाग	रा०प्रा०वि० बौगाड़, बेरीनाग	जनहित
2	श्रीमती निर्मला राठौर	स०अ०	रा०प्रा०वि० खेती जरौली, बेरीनाग	रा०प्रा०वि० लोहारगाँव, बेरीनाग	जनहित
3	प्रीति एस० सिंह	स०अ०	रा०प्रा०वि० दाफिला, विण	रा०प्रा०वि० तड़ीगाँव, डीडीहाट	जनहित

प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय (दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र)

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06
1	श्रीमती पुष्पा तितियाल	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० चल, धारचूला	रा०प्रा०वि० भनड़ा, डीडीहाट	जनहित
2	श्री प्रेम राम	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० लोधियाबगड़, मुनस्यारी	रा०प्रा०वि० अस्कोट 1, डीडीहाट	जनहित
3	श्रीमती दमयंती बुर्फाल	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० मार्छा, धारचूला	रा०आ०प्रा०वि० डीडीहाट	जनहित
4	श्रीमती गीता रावत	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० तेजम, मुनस्यारी	रा०प्रा०वि० ग्यूरघटीगाड़, डीडीहाट	जनहित
5	श्री हीरा सिंह मेहता	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० चौड़ाग्राम, मुनस्यारी	रा०आ०प्रा०वि० रणकोट, गंगोलीहाट	जनहित
6	श्रीमती दमयन्ती चन्द	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० धामीगौड़ा, मूनाकोट	रा०प्रा०वि० बेरीनाग	जनहित



सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय (दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र)

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06
1	श्रीमती रेवती शर्मा	स०अ०	रा०प्रा०वि० धारीगांव, विण	रा०प्रा०वि० सकनोली, बेरीनाग	जनहित
2	श्री पूरन सिंह बोरा	स०अ०	रा०प्रा०वि० कुसमाण, गंगोलीहाट	रा०प्रा०वि० देवराड़ी बोरा, गंगोलीहाट	जनहित
3	श्रीमती इंदु बाला	स०अ०	रा०प्रा०वि० बनाड़ा, मूनाकोट	रा०प्रा०वि० कोठेरा, गंगोलीहाट	जनहित
4	श्रीमती भागीरथी सामन्त	स०अ०	रा०प्रा०वि० ककड़मुनियां, कनालीछीना	रा०प्रा०वि० भण्डारीगाँव, बेरीनाग	जनहित
5	श्रीमती जानकी जोशी	स०अ०	रा०प्रा०वि० मेलडुंगरी, विण	रा०प्रा०वि० कुन्जनपुर, गंगोलीहाट	जनहित
6	श्री संदीप सैनिक	स०अ०	रा०प्रा०वि० किमखोला, धारचूला	रा०प्रा०वि० बूँदी, धारचूला	जनहित
7	श्रीमती कलावती कालाकोटी	स०अ०	रा०प्रा०वि० चौड़ागोल्ती, गंगोलीहाट	रा०प्रा०वि० हमकार्की, बेरीनाग	जनहित
8	श्रीमती ममता विश्वकर्मा	स०अ०	रा०प्रा०वि० बास्ते, विण	रा०प्रा०वि० नागिलगांव बेरीनाग	जनहित
9	श्री महेश सिंह शाह	स०अ०	रा०प्रा०वि० लोर्थी, बेरीनाग	रा०प्रा०वि० ग्वीरघटीगाड़, डीडीहाट	जनहित
10	श्री ललित मोहन जोशी	स०अ०	रा०प्रा०वि० भुरमुनी, विण	रा०प्रा०वि० आमधार, बेरीनाग	जनहित
11	श्री भूपेन्द्र सिंह जेठी	स०अ०	रा०प्रा०वि० विजयसार, धारचूला	रा०प्रा०वि० भटीगाँव, बेरीनाग	जनहित
12	श्री जीवन चन्द्र भट्ट	स०अ०	रा०प्रा०वि० झूलाघाट, मूनाकोट	रा०प्रा०वि० चौड़ियार, गंगोलीहाट	जनहित
13	श्री मदन सिंह	स०अ०	रा०प्रा०वि० बरम, धारचूला	रा०प्रा०वि० कोठेरा, गंगोलीहाट	जनहित

ह०/-

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।
दिनांक उक्तवत।

पृ० सं०/बेसिक/2668-74/स्थानान्त०-अनुरोध स०अ० रा०उ०प्रा०वि०/2018-19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़।
- 4- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
- 6- सम्बन्धित स्थानान्तरित शिक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के एक सप्ताह के अन्तर्गत अपने स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण की सूचना सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में अधिनियम की धारा-22 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 7- कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।



जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।

आदेश सं०/बेसिक/126 / स्थाना०-अनुरोध स०अ०रा०प्रा०वि०/2019-20 दिनांक 25.06.2019

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

शासनादेश सं० 30/XXX-2/2018-30/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी 2018 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में किये गये प्राविधान द्वारा प्राप्त निर्देश एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/एजुकेशन पोर्टल/5084-5101/2019-20 दिनांक 10 जून 2019 द्वारा प्रेषित कार्यवृत्त में दिए गये निर्देशों के क्रम में स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17 में गठित समिति द्वारा अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के नियम (एक) (दो) (तीन) (चार) (पांच) (छः) (सात) में किये गये प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय का अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण उनके द्वारा दिए गये विकल्पों के क्रम में रिक्त पद के प्रति कालम 05 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। सम्बन्धित शिक्षक को आदेशित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 22 में किये गये प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय


क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री भूपेन्द्र सिंह सामन्त	स०अ०	रा०प्रा०वि० गो, धारचूला	रा०प्रा०वि० विण,	45 प्रतिशत विकलांग
2	श्रीमती ममता उपाध्याय	स०अ०	रा०प्रा०वि० लिस्तोला, गंगोलीहाट	रा०प्रा०वि० पुनेड़ी, विण	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में सेवारत पति/पत्नी
3	श्रीमती बबीता मेहरा	स०अ०	रा०प्रा०वि० बड़ेत, बेरीनाग	रा०प्रा०वि० खेती जरौली, बेरीनाग	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में सेवारत पति/पत्नी
4	हेमा गढ़कोटी	स०अ०	रा०प्रा०वि० सैनर, बेरीनाग	रा०प्रा०वि० जगतड़, विण	विधवा कार्मिक
5	यामिनी अन्ना	स०अ०	रा०प्रा०वि० सतगढ़, कनालीछीना	रा०प्रा०वि० सनघर, विण	तलाकसुदा कार्मिक
6	श्री त्रिभुवन सिंह बिष्ट	स०अ०	रा०प्रा०वि० बगौरा, मुनस्यारी	रा०प्रा०वि० खतेड़ा, गंगोलीहाट	दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र

ह०/—

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।
दिनांक उक्तवत।

पृ० सं०/बेसिक/2682-82 / स्थाना०-अनुरोध स०अ०रा०प्रा०वि०/2019-20
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़।
- 4- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
- 6- सम्बन्धित स्थानान्तरित शिक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के एक सप्ताह के अन्तर्गत अपने स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण की सूचना सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में अधिनियम की धारा-22 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 7- कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा पितौरागढ़।

आदेश सं०/बेसिक/127 / स्थाना०-रा०उ०प्रा०वि०अनिवार्य/2019-20 दिनांक 25.06.2019

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

शासनादेश सं०30/XXX-2/2018-30/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी 2018 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में किये गये प्राविधान द्वारा प्राप्त निर्देश एवं अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक/एजुकेशन पोर्टल/ 5084-5101/2019-20 दिनांक 10 जून 2019 द्वारा प्रेषित कार्यवृत्त में दिए गये निर्देशों के क्रम में स्थानान्तरण अधिनियम -2017 की धारा 17 में गठित समिति द्वारा अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के नियम (एक) (दो) (तीन) (चार) (पांच) (छः) (सात) में किये गये प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनिवार्य स्थानान्तरण उनके द्वारा दिए गये विकल्पों के क्रम में रिक्त पद के प्रति कालम 05 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। सम्बन्धित शिक्षक को आदेशित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 22 में किये गये प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

सहायक अध्यापक रा०उच्च प्राथमिक विद्यालय (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र)

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06
1	श्रीमती गीता मल्ल	स०अ० सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० बिसाड़ विण	रा०उ०प्रा०वि० तामाकोट, कनालीछीना	जनहित

प्रधानाध्यापक रा०उच्च प्राथमिक विद्यालय (दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र)

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06
1	श्री लक्ष्मण सिंह खडायत	प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० पत्थरकोट, कनालीछीना	रा०आ०वि० ओगला, डीडीहाट	जनहित
2	श्री दीवान सिंह	प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० मेलती, धारचूला	रा०उ०प्रा०वि० मिताड़ीगांव कनालीछीना	जनहित



सहायक अध्यापक रा0उच्च प्राथमिक विद्यालय (दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र)


क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06
1	श्री शोबन सिंह	स0अ0 सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 चौना मुनस्यारी	रा0उ0प्रा0वि0 चचरेत, बेरीनाग	जनहित
2	श्री भगत सिंह ग्वेला	स0अ0 सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 गुईयाँ, धारचूला	रा0उ0प्रा0वि0 मिताड़ीगांव कनालीछीना	जनहित
3	श्रीमती मंजू रावत	स0अ0 विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 दरकोट, मुनस्यारी	रा0उ0प्रा0वि0 डाबरी, मूनाकोट	जनहित
4	श्री राजेन्द्र सिंह सामन्त	स0अ0 विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 हरडीखान, डीडीहाट	रा0उ0प्रा0वि0 पौण, विण	जनहित
5	श्री रमेश राम	स0अ0 भाषा	रा0आ0वि0 फुटसिल, गंगोलीहाट	रा0उ0प्रा0वि0 सारतोला, गंगोलीहाट	जनहित

ह0/-

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।
दिनांक उक्तवत।

पृ० सं०/बेसिक/2089-95/स्थानान्त0-अनुरोध स0अ0 रा0उ0प्रा0वि0/2018-19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़।
- 4- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
- 6- सम्बन्धित स्थानान्तरित शिक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के एक सप्ताह के अन्तर्गत अपने स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण की सूचना सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में अधिनियम की धारा-22 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 7- कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।

आदेश सं०/बेसिक/125 / स्थाना०-अनुरोध स०अ०रा०उ०प्रा०वि०/2019-20 दिनांक 25.06.2019

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

शासनादेश सं०30/XXX-2/2018-30/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी 2018 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में किये गये प्राविधान द्वारा प्राप्त निर्देश एवं अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक/एजुकेशन पोर्टल/5084-5101/2019-20 दिनांक 10 जून 2019 द्वारा प्रेषित कार्यवृत्त में दिए गये निर्देशों के क्रम में स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17 में गठित समिति द्वारा अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के नियम (एक) (दो) (तीन) (चार) (पांच) (छः) (सात) में किये गये प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण उनके द्वारा दिए गये विकल्पों के क्रम में रिक्त पद के प्रति कालम 05 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। सम्बन्धित शिक्षक को आदेशित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 22 में किये गये प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री भीम बहादुर	स०अ० सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० बेड़ा, विण	रा०उ०प्रा०वि० पुनेड़ी, विण	मानसिक रूप से विकसित बच्चे के पिता
2	श्री प्रकाश चन्द्र वर्मा	स०अ० विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० तोली, मूनाकोट	रा०उ०प्रा०वि० भेटा, मूनाकोट	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में सेवारत पति/पत्नी
3	श्रीमती नीमा जोशी	स०अ० भाषा	रा०उ०प्रा०वि० सुरौली, कनालीछीना	रा०उ०प्रा०वि० ग्वाली, मूनाकोट	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में सेवारत पति/पत्नी
4	लक्ष्मी थापा	स०अ० सामान्य	रा०क०उ०प्रा०वि० खोलियागाँव, कनालीछीना	रा०उ०प्रा०वि० जगतड़, विण	विधवा कार्मिक
5	श्री ओम प्रकाश जोशी	स०अ० सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० बिरगोली, गंगोलीहाट	रा०उ०प्रा०वि० सकुन, मूनाकोट	दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र
6	श्रीमती विनीता भट्ट	स०अ० भाषा	रा०उ०प्रा०वि० चचरेत, बेरीनाग	रा०उ०प्रा०वि० गलात, मूनाकोट	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र

ह०/-

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।
दिनांक उक्तवत।

पृ० सं०/बेसिक/2015-81/स्थानान्त०-अनुरोध स०अ० रा०उ०प्रा०वि०/2019-20
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़।
- 4- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
- 6- सम्बन्धित स्थानान्तरित शिक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के एक सप्ताह के अन्तर्गत अपने स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण की सूचना सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में अधिनियम की धारा-22 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 7- कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।